

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 18(1)साप्र/2/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक 19/11/17

:- आदेश :-

श्री युसुफ खान, वाहन चालक, मुख्यमंत्री निवास, जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 125/2014 व सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2020 है, के आधार पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश संख्या प.18(1)साप्र/2/2016 दिनांक 12.8.2016 के द्वारा राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम-27 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर आवंटीत राजकीय आवास संख्या जीए/5/टी-1/65, विद्याधर नगर, जयपुर का आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


भवदीय



(इन्द्र सिंह राव)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार शासन सचिवालय, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चरपा करावें।
8. संबंधित कर्मचारी।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव